UPMT010016452026

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा**

उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)

**{J.O.Code No. UP6191}**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–780/2026**

**विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव बनाम उ.प्र.राज्य**

**आदेश**

1. मुकदमा अपराध संख्या– 168/2018 धारा–420, 409, 406, 467, 468, 471 भा०दं०सं०, थाना– फरह, जिला– मथुरा के अभियुक्त **विपिन सिंह यादव उर्फ विपिन यादव** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी/वादी नरदेव शर्मा पुत्र सेवाराम शर्मा द्वारा थाना-फरह, जिला-मथुरा में एक लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि प्रार्थी ने अपनी पत्नी श्रीमती कमलेश शर्मा, अपनी पुत्री श्रीमती भारती शर्मा एवं अपने दामाद दीपक कुमार शर्मा पुत्र कृष्ण दत्त शर्मा के नाम से विभिन्न तिथियों पर कल्पतरू बिल्डटैक सेवा योजना कार्यालय पर कमलेश शर्मा के नाम से एक फ्लैट सख्या 999/2 बी०एच० के० दिनाँक 09.05.2014 को तथा दामाद दीपक शर्मा के नाम से एक फ्लैट सख्या 1413/3 बी०एच० के० दिनाँक 30.05.2014 को बुक कराये थे, जिसमें कमलेश शर्मा एवं भारती शर्मा द्वारा फ्लैट बुकिंग कराते समय 50,000/-₹ एडवान्स तथा 18 किस्ते जमा की गयीं तथा दामाद दीपक शर्मा के द्वारा बुकिंग कराते समय 1,00,000/-₹ एवं 17 किस्तें जमा की गयी। फ्लैट बुकिंग कराते समय कल्पतरू बिल्डटैक कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड 41 एफ०बी० फ्रेन्डस टॉवर, संजय पैलेस आगरा के मैनेजर एवं वहाँ पर कार्यरत लोगों ने आपराधिक षडयन्त्र के तहत छल करने के उददेश्य से कल्पतरू ग्रुप ऑफ कम्पनी के मालिक जयकृष्ण सिंह राणा की उक्त कम्पनी में अच्छा मालिक होने के नाते भविष्य में अच्छे निवेश के चलते फ्लैट बुक कराने की बात कही, जिस पर प्रार्थी ने अपनी पत्नी, पुत्री व दामाद के नाम से उनकी भोली-भाली बातो में आकर षडयन्त्र के अनुरूप विभिन्न तिथियों पर फ्लैट बुक कराके प्रार्थी, प्रार्थी की पुत्री व दामाद ने अपनी जमा पूँजी एवं इधर-उधर से रूपयों का इन्तजाम करके भविष्य हेतु अच्छा लाभ लेने हेतु खर्च की। जब प्रार्थी, प्रार्थी की पुत्री एवं दामाद ने किस्तें जमा करने के उपरान्त फ्लैट की डिलेवरी हेतु कब्जा माँगा तो उक्त कम्पनी का मालिक, उसके यहाँ कार्यरत मैनेजर एवं अन्य स्टाफ फ्लैट का कब्जा देने का

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.11 12:39:15 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आश्वासन देते हुये टाल-मटोल करने लगे, जब काफी समय गुजर गया और उक्त फ्लैटों का कब्जा प्रार्थी व उसके परिजन को प्राप्त नहीं हुआ तब प्रार्थी द्वारा ज्यादा कहासुनी की गयी तो उक्त लोग कहने लगे कि आपको जल्दी है तो हम आपको रूपया फ्लैट न लेने की बात कहकर लौटा देते हैं, परन्तु अभी तक प्रार्थी, उसकी पुत्री एवं दामाद को न तो फ्लैट दिया है, न ही फ्लैट के रूपये वापस किये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त लोगों ने बुरी नीयत से छल करके, धोखाधड़ी से विश्वासघात करते हुये रूपये ऐंठ लिये एव धोखाधड़ी से असल दस्तावेज जमा कराकर स्टीमेट दे दिया है। प्रार्थी को अब जानकारी हुयी है कि प्रार्थी, प्रार्थी की पुत्री एवं दामाद के अलावा अन्य लोगों के रूपया लेकर मैनेजर, मालिक व अन्य स्टाफ के लोग अपनी कम्पनी में ताला डालकर भाग गये हैं। पैसे का प्रथम देना चुरमुरा फरह पर हुआ। वादी द्वारा दी गयी उक्त लिखित तहरीर के आधार पर सम्बधित थाना-फरह, जिला-मथुरा में दि० 12.03 2018 को मुकदमा अपराध स० 168/2018 अन्तर्गत धारा 420,406 भा.दं.सं. विरूद्ध अभियुक्त जय कृष्ण सिंह राणा व अन्य सहकर्मी पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा प्रकरण में धारा–409, 467, 468, 471 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधड़ी/ठगी नहीं की गयी है, अभियुक्त निर्दोष है तथा मात्र तंग व परेशान करने के उद्देश्य से उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उक्त घटना में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है तथा रिपोर्टकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लेन–देन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है, जो विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त ने मुकदमा वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है और न ही वह मुकदमा वादी को जानता है। रिपोर्टकर्ता द्वारा मुकदमा झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर लिखाया गया है; अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 406, 467, 468, 471 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है तथा उसका उक्त मामले से कोई संबंध या सरोकार नहीं है। अभियुक्त साधारण व संभ्रांत परिवार से है, परिवार के पालन–पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी उसी पर है तथा समाज में उसकी अच्छी छवि है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। यह उसकी प्रथम जमानत प्रार्थना है; अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र मा० उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। अभियुक्त दिनांक 05/05/2022 से जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से वादी की पत्नी, पुत्री एवं दामाद को फ्लैट दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे धनराशि प्राप्त की गयी। आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। वादी एवं उसके परिवार ने फ्लैट बुकिंग के समय एवं उसके उपरांत किश्तों के रूप में पर्याप्त भुगतान किया, लेकिन कब्जा या फ्लैट प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण द्वारा सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी कर वादी एवं उसके परिवार से धनराशि प्राप्त की गयी। अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं, जिनका समाज पर व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभिलेखों से यह भी परिलक्षित होता है कि समान प्रकृति के कई व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त की गयी है। थाने से आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त 46 अन्य समान प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत मामले में आरोप–पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्राप्त हो चुका है तथा सह–अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है।

7. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

8. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–10.03.2026

पवन कुमार, पी.ए.

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191